THE UTTAR PRADESH ANTARIM ZILA PARISHAD (RE-ENACTMENT AND CONTINUANCE) ACT, 1970

(U. P. Act No. 6 of 1970).

(*Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Antarim Zila Parishad (Re-enactment and Continuance) Act, 1970.

AN

ACT

to provide for the Re-enactment and for Continuance of the Uttar Pradesh Antarim Zila Parishad Act, 1958.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-first Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act shall be called the Uttar Pradesh Antarim Zila Parishad (Re-enactment and Continuance) Act, 1970.

(2) It shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1968.

Amendment of section 1 of U. P. Act XXII of 1958.

2. Notwithstanding the expiry of the Uttar Pradesh Antarim Zila Parishad Act, 1958 (hereinafter referred to as the principal Act), the said Act shall be deemed to have been re-enacted as far as it relates to Chamoli, Uttarkashi and Pithoragarh Districts, and shall continue in force till the 31st day of December, 1970, and accordingly, sub-section (3) of section 1 of that Act shall have effect as if for the words, figures and letters "except in the case of Uttarakhand Division where it shall expire on 31st day of December, 1967," the words, figures and letters "except in the case of Chamoli, Uttarkashi and Pithoragarh Districts where it shall expire on 31st December, 1970", had been *substituted.*

Validation.

3. For the removal of doubts it is hereby declared that anything done or any action taken or any order made, including any tax or toll levied or fee charged, by the Antarim Zila Parishads in the Chamoli, Uttarkashi and Pithoragarh Districts in the exercise or purported exercise of their powers or in the discharge or purported discharge of their duties on or after the 31st day of December, 1967, shall be as valid and operative as if it had been done, taken, made, levied or charged in accordance with law :

Provided that no contravention, or failure to comply with any of the provisions of the principal Act, as amended by this Act, shall render any person guilty of any offence of such contravention or failure occurred on or after the 31st day of December, 1967 and before the 28th day of June, 1968.

Repeal of President's Act XIX of 1968 and U. P. Ordinance IX of 1969.

4. The Uttar Pradesh Antarim Zila Parishad (Re-enactment and Continuance) Act, 1968 and the Uttar Pradesh Antarim Zila Parishad (Re-enactment and Continuance) Ordinance, 1969, are hereby repealed.

(*For Statement of Objects and Reasons, please see *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated March 3, 1970.)

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on March 9, 1970 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on March 12, 1970.)

(Received the Assent of the Governor on March 31, 1970 under Article 200 of the Constitution of India and was published in the *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated April 1, 1970.)

PSUP—A. P. 50 Genl. (Leg.)—1970. 75. (M).

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (पुनः अधिनियमन और चालू रखा जाना) अधिनियम, 1970

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, 1970)

(उत्तर प्रदेश विधानसभा ने दिनांक 9 मार्च, 1970 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 12 मार्च, 1970 ई० की बैठक में स्वीकृत किया)

('भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 31 मार्च, 1970 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 1 अप्रैल, 1970 ई० को प्रकाशित हुआ।)

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, 1958 के पुनः अधिनियमन और चालू रखे जाने का उपबन्ध करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ

1— (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (पुनः अधिनियमन और चालू रखा जाना) अधिनियम, 1970 कहलायेगा।

(2) यह 1 जनवरी, 1968 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

—उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, 1958 की धारा 1 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, 1958 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) के अवसान के होते हुए भी, उक्त अधिनियम, जहां तक कि वह चमोली, उत्तरकाशी तथा पिथौरागढ़ जिलों से संबंधित है, पुनः अधिनियमित किया गया समझा जायगा और 31 दिसम्बर, 1970 तक प्रवृत्त बना रहेगा, और तदनुसार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (3) इस प्रकार प्रभावी होगी मानों शब्द, अंक तथा अक्षर "सिवाय उत्तराखंड डिवीजन के जहां यह अवधि 31 दिसम्बर, 1967 को समाप्त हो जायेगी" के स्थान पर शब्द, अंक तथा अक्षर "सिवाय चमोली, उत्तरकाशी तथा पिथौरागढ़ जिलों के जहां यह अवधि 31 दिसम्बर, 1970 को समाप्त हो जायेगी" रख दिये गये हों।

वैधीकरण

3—शंकाओं के निराकरण के लिये एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि चमोली, उत्तरकाशी तथा पिथौरागढ़ जिलों में अन्तरिम जिला परिषदों द्वारा अपने अधिकारों के प्रयोग या तात्पर्यित प्रयोग में या अपने कृत्यों के निर्वहन या तात्पर्यित निर्वहन में 31 दिसम्बर, 1967 को या तत्पश्चात् किया गया कोई कार्य, या की गई कोई कार्यवाही, या दिया गया कोई आदेश, जिसके अन्तर्गत उद्गृहीत किया गया कोई कर या पथ-कर या लिया गया शुल्क आता है, इस प्रकार विधिमान्य और प्रभावी होगा मानों वह विधि के अनुसार किया गया, की गई, दिया गया, उद्गृहीत किया गया या लिया गया हो :

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन से या उनके अनुपालन में असफलता से कोई भी व्यक्ति किसी अपराध के लिये दोषी न होगा यदि ऐसा उल्लंघन या असफलता 31 दिसम्बर, 1967 को या तत्पश्चात् और 28 जून, 1968 से पूर्व हुई हो।

राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 19, 1968 और उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9, 1969 का निरसन

4—उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (पुनः अधिनियमन और चालू रखा जाना) अधिनियम, 1968 और उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (पुनः अधिनियमन और चालू रखा जाना) अध्यादेश, 1969 एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं।

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 3 मार्च, 1970 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये।)

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 49 जरनल (लेंग०)—1970—75 (म०)।